निर्णय बइजलास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 305 / प्रार्थना- पत्र / 2019

तारीख दायरा 17.07.2019

उनवान

कौशल्या बाई उर्फ केसर बाई पत्नि रामनारायण जाति धाकड़ निवासी पछलाव तह0 पिड़ावा
—प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति धाकड़ निवासी मांडा तह0 झालरापाटन
2. मोतीलाल पुत्र रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी मांडा तहसील झालरापाटन
3. भगवान सिंह पुत्र रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी मांडा तहसील झालरापाटन
4. नवलसिंह पुत्र रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी मांडा तहसील झालरापाटन
5. शान बाई पत्नि धन्ना लाल पुत्री चुन्नी लाल जाति धाकड़ निवासी रानडी तह0 पिड़ावा
6. सजन बाई पत्नि कैलाश पुत्री चुन्नी लाल जाति धाकड़ निवासी गुडदी तह0 पिड़ावा
7. गुलाब बाई पत्नि चुन्नी लाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मांडा तह0 झालरापाटन
8. बिशन बाई पत्नि कन्हैया लाल पुत्री रामप्रताप निवासी ग्राम लालगाँव तह0 पिड़ावा
9. इन्दी बाई पत्नि स्व0 कन्हैयालाल पुत्री रामप्रताप जाति धाकड़ निवासी गादिया तह0 झालरापाटन
10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन
11. उपपंजीयक झालावाड़ कार्या0 तहसील झालरापाटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री प्रवीण वर्मा (प्रार्थी)
विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल माहेश्वरी (अप्रार्थीगण)

निर्णय

निर्णय दिनाक – 21-10-19

संक्षेप में प्रार्थना –पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मांडा तह0 झा0पाटन में खाता संख्या नई 30 की आराजी खसरा नं0 1, 2, 3, 12, 13, 24, 97, 98, 101, 109, 203, 229 405, 404, 627, 631, 636, 637, 638, 639, 739 कुल 22 किता रकबा 47 बीघा 18 बिस्वा जमीन स्थित है जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हक निहित है। प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी है तथा विधिवत बटवारा नही किया गया है। प्रार्थीया के पिता रतनलाल के दूसरे लडके लावल्द फोत हो चुके है तथा खातेदार रामप्रताप की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अप्रार्थी नं0 2, 3, 4, 8, 9 है। पान बाई की भी मृत्यु हो चुकी है चुन्नीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण नं0 1,5,7 मौजूद है। प्रश्नगत आराजी मे प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थी के भतीजे अप्रार्थी नं0 1, 2, 3, 4 ने सम्पर्क कर प्रार्थीया से उसके हिस्से की आराजी 1/4 यानी 12 बीघा में से 8 बीघा आराजी (रिलीज डीड) हक त्याग करवाने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थीया ने भतीजे होने के कारण विश्वास कर 8 बीघा आराजी देने की स्वीकृति दे दी थी प्रार्थीया 80 साल की वृद्ध महिला है जो अक्सर बीमार रहती है चलने फिरने में असमर्थ है। कम सुनती है। अप्रार्थीगण नं0 1,2,3,4 ने

P.T.O

दिनांक 14.06.2019 को गाँव जाकर 8 बीघा आराजी का हक त्याग उपपंजीयक कार्यालय झालावाड़ में करवाने के लिए चलने को कहा प्रार्थीया ने अपने भतीजों पर विश्वास कर झालावाड़ झालरापाटन आ गई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के मन में बदनियती आ जाने से छल कर षडयन्त्रपूर्वक पूर्व से ही हकत्याग नामा तहरीर करा लिया था। अप्रार्थी नं0 5,6,7,8,9 का सम्पूर्ण हक हिस्सा जिसमें प्रार्थीया का 1/4 का हक 12 बीघा आराजी भी शामलाती है जिसका लिखवा लिया। प्रार्थीया अनपढ़ वृद्ध महिला होने के कारण दस्तावेज अप्रार्थीगण ने विश्वास दिला रखा था कि उन्होंने 8 बीघा भूमि लिखवाई है। अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 ने प्रार्थीया के साथ बेईमानी धोखाधड़ी से 8 बीघा के स्थान पर 12 बीघा 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण हक हिस्से को हकत्याग नामे रिलीज डीड में लिखवाकर कार्यालय उपपंजीयक झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया इस प्रकार अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ने अधिक आराजी का अन्तकरण स्वयं के नाम करवा लिया जो निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थीगण चालाक एव बेईमान प्रवृत्ति के लोग है। उन्होंने प्रार्थीया के बुढ़ापे व कमजोरी तथा वृद्धावस्था का लाभ उठाकर उसके हक अधिकार के आराजी का हकत्याग बहला फुसलाकर करवा लिया है तथा अब वह जबरन कब्जा एवं नामान्तरण खोले जाने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेध आज्ञा जारी कर पाबन्द फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र चाहा गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री बद्रीलाल माहेश्वरी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा वकील प्रार्थी को दिलाई गई तथा पत्रावली बहस मे रखी गई

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष कारान की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एव जवाब अप्रार्थीगण का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने रेवेन्यू बोर्ड आरआरडी दिनांक 14.07.2008 डबल बेन्च बन्शीधर वगैरा बनाम हनुमान वगैरा का हवाला देते हुए जिरहे में बताया कि रिलीज डीड के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अन्तरण नहीं किया जा सकता तथा अप्रार्थीगणों ने प्रार्थीया के जिसकी उम्र 80 वर्ष है तथा प्रार्थीया कम भी सुनती है का नाजायज फायदा उठाते हुए सुनियोजित षडयन्त्र कर स्वयं को 1/4 यानि कुल आराजी का 12 बीघा हिस्सा जिसकी वह कानूनन अधिकारणी है का नाजायज फायदा उठाते हुए 8 बीघा के स्थान पर पूरा 1/4 हिस्सा यानि 12 बीघा आराजी को अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ने अपने खाते लगवा लिया। जो कार्य गैरकानूनी है। इसी सन्दर्भ मे वकील प्रार्थीया ने वकील न्यायालय आरआरए कोटा के निर्णय दिनांक 07.02.2014 रामकन्या बाई वगैरा रामगोपाल वगैरा में भी रिलीज डीड के आधार पर टेनेन्सी एक्ट में जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। जिरहे में आगे बताया है कि जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम कौशल्या बाई है। जबकि पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड वोटर आईडी केसर बाई के नाम से बने हुए है। अप्रार्थीगणों को अगर प्रार्थीया से रिलीज डीड इत्यादि करवानी थी तो सबसे पहले राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में नाम को शुद्ध करवाया जाना चाहिए था। कोई भी दस्तावेज वर्तमान में उपपंजीयक द्वारा रिलीज डीड करवाने/हकत्याग करवाने के लिए सही पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए था। रिलीज डीड बिना प्रतिफल के की जाती है। जिसको राजस्व न्यायालय निरस्त कर सकता है। इसलिए गैरकानूनी तौर से करवाई गई रिलीज डीड के आधार पर किसी भी तरह का इन्तकाल तस्दीक अथवा राजस्व रिकॉर्ड में अमल नही किया जावे तथा रिकॉर्ड पर मौके की यथास्थिति कायम की जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी जिरहे में बताया कि प्रार्थीया ने रिलीज डीड स्वयं की इच्छा से करवाई गई है जिसको सुनने का अधिकार सक्षम सिविल कोर्ट को है। राजस्व न्यायालय इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता तथा प्रार्थीया को माननीय राजस्व न्यायालय मे दावा लाने का कोई हक नहीं है अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र मे खर्चा खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष कारान के बहस सुनने के

P.T.O.

पश्चात तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभयपक्ष कारान द्वारा प्रस्तुत उच्चतर न्यायालयों की नजीरों का आद्योपान्त अध्ययन करने के बाद एवं प्राकृतिक नैसर्गिक सिद्धान्तों के मद्देनजर प्रकरण प्रथम दृष्टतया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष का प्रतीत होता है क्योंकि रिलीज डीड के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय मे समय लग सकता है तथा अप्रार्थीगण रिलीज डीड के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे अमूल चूल परिवर्तन कराते है तो प्रार्थीया को सर्वथा हानि होने की पूर्ण सम्भावना है। जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी है जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफेसला कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थीगण 1,2,3,4 को जरिये अस्थायी निषेध आज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नांदा तह० झालरापाटन की खाता संख्या नई 30 पुरानी 26 कुल 22 किता की रकबा 47 बीघा 13 बिस्वा आराजी जिसमे वादनी का 1/4 हिस्सा निहित है कि मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 21-10-13 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2019.11.15 12:13:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: